



E-mail/Speed post/Fax

सं०सं०-18/विधि-16/2017...1019... (18)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंकर प्रसाद,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अतुल प्रसाद, भा० प्र० से०,
सरकार के प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 05 / 07 / 2017

विषय:- "Unique ID For Persons with Disabilities" (UDID) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक- सं०-02, /सा०स०-विधि-05/2014 सं०क०-763 दिनांक-02.06.2017


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा संचालित UDID परियोजना के कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-1011(18), दिनांक-05.07.2017 द्वारा राज्य नोडल पदाधिकारी (State Administrator) के रूप में कार्यापालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना तथा जिला नोडल पदाधिकारी (District Administrator) के रूप में सभी सिविल सर्जन, बिहार को नामित किया गया है।

सुलभ प्रसंग हेतु विभागीय पत्रांक (आदेश)-1011(18), दिनांक-05.07.17 की छायाप्रति भी इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(शंकर प्रसाद)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

4

सं०सं०-18/विविध-16/2017-1011(18)/05.07.17
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

भारत सरकार, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ एवं महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निमित्त राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए Unique ID बनाने हेतु परियोजना आरंभ की गई है।

उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना द्वारा "राज्य स्तर पर राज्य नोडल पदाधिकारी (State Administrator) के रूप में कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा पटना को" तथा "जिला स्तर पर जिला नोडल पदाधिकारी (District Administrator) के रूप में सिविल सर्जन को" नामित किया जाता है।

a. g. m. l.
(आर० कै० महाजन) 5/7/17
सरकार के प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-.....1011(18)...../ स्वा० पटना, दिनांक:-05/07/2017

प्रतिलिपि:-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी सिविल सर्जन, बिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

a. g. m. l.
सरकार के प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।